बिहार विधान-सभा सचिवालय

(भाग-2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर सहित)

शुक्रवार, तिथि 16 जुलाई, 1976

विषय-सूची ।

पृष्ठ

(1) विधायी कार्य : सरकारी विधेयक :

भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण और अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1976 (स्वीकृत) । 1—19

(2) ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर सरकारी वक्तव्य :

श्री रामसेवक सिंह एवं अन्य तीन सभा-सदस्यों की रोहतास जिलान्तर्गत नौहट्टा प्रखंड के नौहट्टा ग्राम में स्थानीय थाना के जमादार और प्रखंड के नाजिर द्वारा किये गये बलात्कार संबंधी ध्यानाकर्षण सूचना । 19—27

(3) बिहार विधान-परिषद् से प्राप्त संदेश : 27-28

(4) आय-व्ययक : 1976-77 वर्ष के आय-व्ययक अनुदानों की मांगों पर मतदान : चिकित्सा एवं परिवार नियोजन (स्वीकृत) । 28—73

(5) निवेदन के संबंध में सूचना 73

(6) दैनिक निबंध ... ... 75—77

टिप्पणी :—जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधन नहीं किया है उनके नाम के आगे (*) चिन्ह लगा दिया गया है ।

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

शुक्रवार, तिथि 16 जुलाई, 1976।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा-सदन में शुक्रवार, तिथि 16 जुलाई, 1976 को पूर्वाह्न 10 बजे उपाध्यक्ष श्री शकूर अहमद के सभापतित्व में प्रारंभ हुआ।

विधायी कार्य : सरकारी विधेयक :

बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण और अधिशेष भूमि अर्जन) संशोधन विधेयक, 1976।

उपाध्यक्ष—इस पर विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया, इसलिए आज इस पर खण्डशः विचार करेंगे।

श्री रामजयपाल सिंह यादव—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

विधेयक के खण्ड 2 के उप-खण्ड (IV) के स्पष्टीकरण II की प्रथम पंक्ति में शब्द "कुटुम्ब" के स्थान पर शब्द "परिवार" रखा जाय।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

विधेयक के खण्ड 2 के उप-खंड (IV) के स्पष्टीकरण II की प्रथम पंक्ति में शब्द "कुटुम्ब" के स्थान पर शब्द "परिवार" रखा जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रामजयपाल सिंह यादव—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

विधेयक के खण्ड 2 के उप-खंड (V) (ङ ङ ङ) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खण्ड रखा जाय :—

"(ङ० ङ० ङ०) ऐसे किसी परिवार के संबंध में जिसकी अधिकतम सीमा 9 सितम्बर, 1970 को उसके द्वारा धारित भूमि के संबंध में धारा 4 के अधीन अवधारित की जाय। 'अप्राप्तवय बच्चा' से अभिप्रेत होगा वह व्यक्ति जिसने उस तारीख को

अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो तथा धारा 18 में यथा अपेक्षित भविष्य अर्जन के संबंध में वह तारीख होगी जिस दिन ऐसा अर्जन हुआ हो।"

इसमें केवल शिशु शब्द था, अभी जो विधि शब्दावली है उसी के अनुसार शिशु रखा गया बच्चा के बदले। लेकिन ओरिजनल ऐक्ट में बच्चा शब्द है इसलिए बच्चा रखा गया है। और "हो जाय" शब्द के बदले "होगी" कर दिया गया है। विधि शब्दावली की वजह से ऐसा किया गया है। क्योंकि इससे मानी निकल जाता है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह (कांग्रेस)—जो पोआइंट एक्सपलानेशन में उठाया गया था उसका कुछ बताइयेगा ?

श्री रामजयपाल सिंह यादव—कहा गया था कि शिशु शब्द नहीं चाहिए बच्चा चाहिए इसलिए हमने बच्चा कर दिया है। उन्होंने कहा था कि हो जाय के बदले होगी से काम चल जायगा, इसलिए मैंने भी होगी कर दिया है। हो जाय हटा दिया गया है, इसकी जरूरत नहीं है, इससे मानी निकल जाता है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह (कांग्रेस)—एक्सपलानेशन के बारे में जो कुछ कहा गया, उससे आपकी समस्या का हल नहीं होता है। माननीय मंत्री बता दें कि परसनल लॉ में कहीं फेमिली डिफाईन किया गया है ? यह रेलीभेन्ट है कि नहीं ? जो पास्ट हिस्ट्री है उसके बैकग्राउंड में सरकार का क्या परपज है ? क्या भाषा से भी अर्थ पूरा हो जाता है ? इसके बारे में कुछ कहें।

श्री रामजयपाल सिंह यादव—परसनल कानून सीलींग ऐक्ट में गौण रखा गया है। जो 18 वर्ष का हो जाय उसी को माना जाता है। इसलिए परसनल लॉ की यहाँ आवश्यकता नहीं है। जिसकी उम्र 18 वर्ष हो जायगी वह माना जायगा।

श्री चन्द्रशेखर सिंह (कांग्रेस)—परसनल लॉ में परिवार के रखने से क्या असर नहीं होगा ? किस परसनल लॉ में अलग-अलग परिवार का डिफीनीशन दिया हुआ है ? आप इस कानून से सभी को एक कर रहे हैं। कौन परसनल लॉ में क्या-क्या डिफिनीशन है, आप जरा बतलावें ?

श्री रामजयपाल सिंह यादव—मैं समझता हूं कि परसनल लॉ को बतलाने की यहाँ उपयोगिता नहीं है। महम्मडन परसनल लॉ है और क्रीश्चिन परसनल लॉ है, इसके बारे में डिटेल में बतलाने की जरूरत नहीं है, सभी माननीय सदस्य इसको जानते हैं, यदि डिटेल में बतलाया जाय तो बहुत समय लग जायगा, इसलिए इसको पास कर दिया जाय।

श्री रघुनाथ झा—जब इसका कोई असर नहीं पड़ता है तो इस क्लौज को रखने की क्या जरूरत है ?

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि "विधेयक के खण्ड 2 के उप-खण्ड (V) (ङ ङ ङ)" के स्थान पर निम्नलिखित उप-खण्ड रखा जाय :—

"(ङ० ङ० ङ०) ऐसे किसी परिवार के संबंध में जिसकी अधिकतक सीमा 9 सितम्बर, 1970 को उसके द्वारा धारित भूमि के संबंध में धारा ४ के अधीन अवधारित की जाय, । 'अप्राप्तवय बच्चा' से अभिप्रेत होगा वह व्यक्ति जिसने उस तारीख को 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो तथा धारा 18 में यथाअपेक्षित भविष्य अर्जन के संबंध में वह तारीख होगी जिस दिन ऐसा अर्जन हुआ हो ।"

माननीय सदस्यगण—शब्द "अभिप्रेत" गलत है इसके बदले अपेक्षित होना चाहिए ।

उपाध्यक्ष—ठीक है। शब्द "अपेक्षित" होना चाहिए ।

श्री चतुरानन मिश्र—उपाध्यक्ष महोदय, एक बात हम ट्रान्सलेशन के संबंध में कहना चाहेंगे । हमलोग बहुत कठिनाई बराबर महसूस करते रहे हैं और कभी तो हमको ऐसा लगता है किसी दिन हम कानून पास कर देंगे कि हमलोग पागलखाने के मेम्बर हैं और जब पकड़ने आयगा तब हमलोग कहेंगे कि हमलोगों ने ऐसा पास नहीं किया । ट्रान्सलेशन की व्यवस्था सरकार करे और हम आपके सचिवालय से भी कहेंगे कि अगर इस तरह के शब्द आते हैं जिसको कोई पब्लिक नहीं समझता है और हमलोगों के जैसा आदमी भी नहीं समझता है, इसलिए इसका कोई इन्तजाम तो कीजिए, बराबर इस तरह का सवाल उठता है ।

श्री रामजयपाल सिंह यादव—जो विधि शब्दावली है उसी को देखकर रखा जाता है बिना शब्दावली को देखे हुए नहीं रखा जाता है ।

श्री राम नारायण मंडल—हम यह कहना चाहते हैं अभी शब्द अभिप्रेत को सुधार कर अपेक्षित किया गया, इस तरह की गलती बराबर रहती है । अगर यह इसी तरह पास हो जाता तो क्या होता । इसलिए मेरा सुझाव है कि हिन्दी शब्द के बगल में ब्राइकेट में अंग्रेजी ट्रान्सलेशन भी दे दें ।

उपाध्यक्ष—हम आपके सुझाव से एग्री हैं कि जहां इस तरह के लफ्ज आते हैं वहां ब्राइकेट में अंग्रेजी शब्द दे दिए जायं, अंग्रेजी शब्द रहेंगे तो समझने में आसानी होगी ।

श्री रामाश्रय राय—ये लोग हिन्दी की चिंदी निकालते हैं। यदि अप्राप्तवय बच्चा के बदले में ना बालिग बच्चा रहता तो क्या हर्ज होता ?

उपाध्यक्ष—खण्ड 3 और 4 पर कोई संशोधन नहीं है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह (कांग्रेस)—अलग-अलग पास किया जाय।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 2 यथासंशोधित इस विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष—खण्ड 2 यथासंशोधित इस विधेयक का अंग बना।

श्री चन्द्रशेखर सिंह (कांग्रेस)—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि लॉ मेकिंग का एक नया माप दण्ड स्थापित किया जा रहा है। कानून बनाने में सदन का जो तरीका है, कम-से-कम जो बातें यहाँ पेश की जायं उनका स्पष्टीकरण करके, हाउस को कनभीन्स करके आगे बढ़ने की चेष्टा होनी चाहिए। पिछले दिन, पांच रोज पहले एक्जेक्यूटिभ मजिस्ट्रेट का बिल आया था, तो उसमें एक सवाल पूछा गया जिसका बिना जवाब दिए आगे बढ़ गये। उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग कोई लिगल एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन माननीय सदस्यों और सदन को साफ बतला देना चाहिए कि सरकार क्या चाहती है। ऐसा लगता है कि इस दिशा में प्रयास नहीं है। इस विधेयक के खण्ड 3 की भाषा माननीय सदस्यों को पढ़कर सुना देना चाहता हूँ, वह संशोधित भाषा इस प्रकार है—

> इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अधिक-से-अधिक 5 सदस्यों के एक परिवार के लिए भूमि की अधिकतम सीमा निम्नलिखित होगी। शब्दों के स्थान पर नियत दिन को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अधिक-से-अधिक पांच सदस्यों के एक परिवार के लिए भूमि की अधिकतम सीमा निम्नलिखित होगी।

तो 9 सितम्बर, 1970 से यह सीमा होगी और तारीख की कोई दूसरी सीमा होगी क्या ? यह किस तरह का सवाल उठाया गया है ? यदि इस सम्बन्ध में हमलोगों का कोई भ्रम है तो उसे दूर करने की चेष्टा की जाय।

श्री रामजयपाल सिंह यादव—9सितम्बर, 1970 जो नियत दिन रखा गया है, इसलिए कि उसके अनुसार अभी जो कानून लागू हो रहा है, उसको खतम नहीं कर लेते हैं और भविष्य की बात रखते है तो कोर्ट में जाने की जरूरत होगी और झंझट हो जायगा।

इसलिए 9 सितम्बर, 1970 नियत दिन है। इसके अनुसार जितने मामले हैं सबको निष्पादन कर लेंगे और उसके बाद जरूरत होगी तो हम करेंगे। भविष्य में तिथि रख देंगे तो और कनफ्यूजन होगा। इसलिए कनफ्यूजन दूर करने के लिए 9 सितम्बर, 1970 नियत दिन रखा गया है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह (कांग्रेस)—9 सितम्बर, 1970 को तो व्यस्क या अवयस्क की बात है, सिलिंग किस दिन से होगा ?

राम जयपाल सिंह यादव—उसी दिन के लिए मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, दूसरे दिन का नहीं।

* श्री भोला प्रसाद सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री चन्द्रशेखर सिंह ने कहा है उसके सम्बन्ध में आप देखेंगे, कि धारा 2 के (क) में है कि:

नियत दिन से अभिप्रेत है 9 सितम्बर, 1970"

तो नियत दिन 9 सितम्वर, 1970 रखा गया है और उच्च- न्यायालम में एक निर्णय लिया गया कि जिस दिन से रिटर्न दाखिल होगा उस दिन से वयस्क व्यक्ति का उम्र माना जायगा। हमलोगों ने जो तय किया था कि 9 सितम्बर, 1970 से बालिग होगा तो हाईकोर्ट ने जो निर्णय लिया उसके अनुसार पहले जो सिलिंग का निपटारा हुआ था, उसमें अलग संशोधन नहीं हुआ था तो लाजिमी तौर पर निर्णय के अनुसार प्रभाव पड़ता है और जो केसेज निपटाये गये थे उनमें ऐसा पड़ता है। इसलिए नियत दिन 9 सितम्बर, 1970 करना पड़ा और धारा 3 में भूमि की अधिकतम सीमा हाई -कोर्ट के अनुसार अलग-अलग निर्णय नहीं हुआ। जितनी भी जमीन हमने ली थी तथा अर्जित की थी और जिन जमीनों का बंटवारा हुआ था और इस राज्य में जो कार्रवाई हुई थी वह एनार्की में चली जाती और अधिक-से-अधिक पाँच सदस्यों के एक परिवार के लिए भूमि की सीमा निर्धारित होगी। इसलिए नियत दिन में सिलिंग क्या होगा, यह रखना है और नियत दिन में परिवार का कितना सदस्य होगा यह भी रखना है।

उपाध्यक्ष—यह है तो है। खण्ड 4 के बारे में किसी को कहना है ?

सदस्यगण—नहीं।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

खण्ड 3 और 4 इस विधेयक के अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, खंड 3 और 4 विधेयक के अंग बनें।

*श्री पीताम्बर सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

विधेयक के खंड 5(क) की प्रस्तावित उप-धारा (1) (1) के बाद निम्नलिखित खंड (11) जोड़ा जायः—

"(11) यदि कोई भूमिपति 22 अक्टूबर, 1959 के बाद स्वतः या किसी के आवेदन पर या अन्य किसी रूप से अपनी भूमि का स्थानान्तरण करता हो, तो समाहर्त्ता को यह अधिकार होगा कि वह उस भूमि के संबंध में जांच करें और यदि उसे सन्तोष हो जाता है कि वह स्थानान्तरण इस अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल है अथवा उसकी मंशा पर आघात करने के लिए है, या भूमि के अधिकतम सीमा निर्धारण से अधिक भूमि रखने के लिए 'बेनामी' या 'फर्जी' स्थानान्तरण किया गया है, तो वह (समाहर्त्ता) संबंधित पार्टियों को उपस्थित होने तथा उनकी सुनवाई करने के निमित्त उचित सूचना देकर ऐसे स्थानान्तरण को विखंडित कर देंगे और उसके बाद यदि उस भू-पति को राज्य के किसी भाग में स्थित भूमि जिनमें इस विखंडित 'बेनामी' और 'फर्जी' भी सम्मिलित हैं, का कुल क्षेत्रफल भूमि के अधिकतम सीमा निर्धारण से अधिक हो जाता है, तो धारा 18 के उपबंध यथासम्भव उस पर लागू हो सकेगा और इस अधिक भूमि को इस अधिनियम के उद्देश्यों के अन्तर्गत अर्जित किया गया समझा जायगा और धारा 15 की उप-धारा (2) के अनुसार यह भूमि राज्य सरकार में निहित की गई समझी जायगी।

परन्तु, इस प्रकार का विखंडन आदेश धारा 32 की उप-धारा (2) के अनुसार राजस्व पर्षद् की संपुष्टि के बाद ही प्रभावी होगा।"

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते होंगे कि यह धारा 5 के संशोधित खंड 2 में जो उपबन्ध होकर आया है केन्द्र से, उसमें ऐसी बात है। लेकिन, इसमें इतना साफ नहीं है कि बेनामी और फर्जी का शब्द कहीं हो। इसलिए इसको और स्पेसिफिक करके संशोधन किया जाय। उनकी राय थी, लेकिन पता नहीं, फर्जी और बेनामी जमीन को निकालने में अंलग क्यों रखा गया है? फर्जी या बेनामी जमीन को निकालने के सिलसिले में क्यों ढिलाई करने जा रहे हैं? इसके संबंध में उन्हें पकड़ने के लिए कानून में उपबन्ध है, लेकिन क्यों छोड़ दिया गया है यह बात समझ में नहीं आती है। मैं समझता हूँ कि राजस्व मंत्री निश्चित तौर पर इसे मानेंगे, क्योंकि बिना तर्क के बेनामी तथा फर्जी को अवैध डिक्लेयर किए बिना भूमि हदबन्दी कानून को लागू करने की बात

बिलकुल तथ्यहीन है । आप जानते हैं कि बिना डाकुमेंट और कागज के कोई जमीन नहीं है। यदि एक इंच भी जमीन निकालनी पड़ेगी तो फर्जी और बेनामी जमीन को डिक्लेयर करके ही निकाली जा सकती है। ऐसी स्थिति में जो पुराने कानून हैं उसमें बेनामी और फर्जी वर्ड नहीं हैं। इसलिए इसे स्वीकार करने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसे राजस्व मंत्री भी स्वीकार करेंगे ।

श्री रामजयपाल सिंह यादव—उपाध्यक्ष महोदय, खंड 5 के सब-सेक्शन 3 में दिया हुआ है कि:—

"कलक्टर को किसी भू-धारी द्वारा 22 अक्टूबर, 1959 के बाद दिए गए किसी अन्तरण के बारे में, चाहे वह अन्तरण किसी रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा या अन्यथा किया गया हो, जांच करने की शक्ति होगी। और यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा अन्तरण अधिनियम के उपबन्धों को विफल करने के उद्देश्य से या उनका उल्लंघन करके अथवा अधिकतम सीमा से अधिक भूमि, बेनामी या फर्जी रूप में रखे रहने के लिए किया गया है, तो कलक्टर सम्बद्ध पक्षकारों को हाजिर होने और सुनवाई की युक्ति-युक्त सूचना देने के बाद ऐसे अन्तरण को बातिल कर सकेगा और उसके बाद वह भूमि उस अधिकतम सीमा क्षेत्र के अवधारित करने के प्रयोजनार्थ, जिसे वह (अन्तरक) इस धारा के अधीन धारित कर सकता है, अन्तरक द्वारा ही धारित समझी जायगी।"

*श्री केदार पांडे—उपाध्यक्ष महोदय, आप ओरिजिनल ऐक्ट देखें, इसमें नामी, बेनामी, फर्जी का उल्लेख है। माननीय सदस्य ने जो यह कहा कि इसमें स्पष्ट नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बिलकुल इसमें स्पष्ट है। इसलिए फरदर अमेन्डमेंट करने की क्या जरूरत है? यदि आप अमेन्डमेंट करते हैं तो इर-रेलिभेंट हो जायगा, सुपरफ्लुअस वर्ड हो जायगा। यह व्यापक है, इसमें अमेन्डमेंट की जरूरत नहीं है।

श्री भोला प्रसाद सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि ओरिजिनल ऐक्ट में......

*श्री नन्दकिशोर सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है, जब सरकार का जवाब हो गया तो क्या इसपर डिसकसन हो सकता है?

उपाध्यक्ष—ठीक है, आपका कहना सही है। आप कृपया बैठ जायं। माननीय सदस्य श्री भोला प्रसाद सिंह, आपको पहले बोलना चाहिए था।

माननीय सदस्य श्री पीताम्बर सिंह, आप अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं?

*श्री पीताम्बर सिंह—नहीं ।

उपाध्यक्ष—आप वापस नहीं लेते हैं तो हम इसे आउट आफ आर्डर करते हैं। खंड 5,6,7,8,9 और 10 पर किसी को कुछ नहीं कहना है ?

सदस्यगण—नहीं ।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

"खंड 5.6,7,8,9 और 10 इस विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 5,6,7,8,9 और 10 विधेयक के अंग बने ।

श्री पीतम्बर सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"विधेयक के खंड 11 की उप-धारा (1) की प्रथम पंक्ति में शब्द 'कोई दर-रैयत' के बाद शब्द 'जिसका उक्त भूमि पर दावा बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा ४८ (ई०) में आवेदित, अनावेदित या निष्पादित' सन्निविष्ट किये जायं ।"

उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण है । इसके सेक्शन २२ में जो पहले से दिया हुआ है, उसमें संशोधन इस नीयत से किया जा रहा है कि अप-टू-दी सिलींग जो है, उसको घटाया जाय । जो पहले से सिलिंग निर्धारित था, उसको घटाकर दो हेक्टर किया गया और कल माननीय सदस्य श्री केदार पांडेजी ने इसे दो हेक्टर से एक हेक्टर करने का संशोधन किया है । सम्भवतः घर जाते-जाते इसमें और कोई दूसरा संशोधन भी हो सकता है । तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 22 में अमेन्डमेन्ट करना चाहते हैं । इसमें यह है कि बटाईदार कितनी जमीन रख सकेंगे, उसकी सीमा क्या होगी ? दूसरा यह कि जो केस पहले से निष्पादित है, तो उससे सरपलस जमीन अवधारित की जायगी, इसी उद्देश्य से संशोधन किया जा रहा है । तीसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, सेक्शन 22 में देखा जाय, इसके सब-सेक्शन 1 और 2 को देखा जाय ।

"Sub-section (i) If he makes an application in this behalf.

Sub-section (ii) If he refuses and fails to make an application, his claim will be rejected by collector."

आप सेक्शन 2 में अमेन्डमेन्ट नहीं कर रहे हैं । दरखास्त नहीं देंगे तो उसके बाद कलक्टर दावा को नामंजूर कर देगा । पहले दरखास्त देने का अवसर प्राप्त था, लेकिन आप उसे छीन रहे हैं । इसलिए यह महत्वपूर्ण है । सारा सदन जानता है कि के० बी० सहाय के समय बटाईदारों के रेकर्ड बनाने के सम्बन्ध में आदेश दिया गया था

तो काफी हंगामा हुआ, इस वजह से उस सरकुलर को वापस ले लिया गया। बटाईदारों का हक मिले इसके लिए प्रयास हुआ है, लेकिन बहुत से बटाईदारों का जमीन पर दखल नहीं हो सका, ऐसे लोग आप हैं। दरखास्त देने के अवसर को आप छीन रहे हैं।

इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही खतरनाक बात है। बिहार काश्तकारी कनून की धाराओं में उसको अधिकार हासिल है। कल एक आदमी मुझसे मिला और उसने कहा 1918 के खतियान में जो सिकमी जमीन बटाईदार के नाम से दर्ज है और उसको केवल 2½ एकड़ ही जमीन थी, उसको छीन कर बांट दिया गया है। खतियान की जमीन को भी आप छीन कर बांट रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि एक ओर आप जमीन बांटने की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर जो भूधारी हैं उनकी राय से यह लिस्ट बना रहे हैं। इससे यह होगा कि जिन भूधारियों का बटाईदारों के साथ तनाव है, झगड़ा है तो वे इस परिस्थिति से फायदा उठा लेंगे और उनकी जमीन वापस हो जायगी। भूमिहीनों के पास जमीन न जाकर भूस्वामी के यहाँ चली जायगी। हुजूर, ये एक इंच भी किसी बटाईदार को देना नहीं चाहते हैं जिसका कोई रेकार्ड तैयार नहीं है। इसमें हुजूर, केवल एरिया घटाने का प्रश्न नहीं है, ये रेकर्ड में उपस्थित होने का अवसर छीन रहे हैं। यह बात आप साफ कहिये। मेरा यह कहना है कि सिंचित एरिया में एक हैक्टयर और असिंचित एरिया में 2 हैक्टयर जमीन रहे। इतना होने से काम चल सकता है। लेकिन बटाईदार को अप्लीकेशन देने का अधिकार है, पहले कानून में यह है, इसको आप बदल रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस अधिकार की हर कीमत पर रक्षा करनी चाहिए।

श्री भोला प्रसाद सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री पीतम्बर सिंह ने जो संशोधन का प्रस्ताव दिया है उसका मैं विरोध करता हूं। सरकार ने जो अपनी छपी हुई किताब में दूसरा संशोधन दिया है, वह मूभ नहीं हो सका है। इसलिए मैं इसको पेश करता हूं और श्री पीतम्बर सिंह के संशोधन का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष—ऐसे संशोधन नहीं रखे जाते हैं।

श्री चतुरानन मिश्र—हम जानना चाहेंगे कि माननीय सदस्य भोला बाबू ने कहा कि श्री पीताम्बर सिंह के संशोधन का खिलाफत करते हैं तो उस पहलू पर जरा बता दीजिये, जिस पर उन्होंने कहा है कि सिंचित क्षेत्र में एक एकड़ और असिंचित क्षेत्र में उसी अनुपात में कीजिये, इस पर आपको क्या कहना है?

श्री भोला प्रसाद सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, श्री पीताम्बर सिंह के संशोधन का विरोध करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि बटाईदार का जहाँ तक प्रश्न है उसके बारे में जो श्री

पीताम्बर सिंह ने कहा, हमलोगों का अनुभव उसके विपरीत है। हमलोगों का अनुभव है कि भूमिपति लोग जो हैं, वे अपनी जमीन को सरपलस होने से बचाने के लिए बटाई-दार खड़ा कर दिये हैं और उनके नाम से जमीन की रजिस्टरी करा देना चाहते हैं ताकि उनकी जमीन सरपलस में नहीं जाय। मैं सरकार के इस संशोधन का समर्थन करता हूं और इसलिये करता हूं कि कोई बटाईदार ढाई एकड़ जमीन से अधिक नहीं जोतता है। श्री पीताम्बर सिंह के संशोधन का मैं घोर विरोध करता हूं।

श्री मिश्री सदा—उपाध्यक्ष महोदय, श्री पीताम्बर सिंह का जो संशोधन है उसका मैं विरोध करता हूँ और यह कहना चाहता हूँ कि इसमें जो 'दर-रैयत' शब्द है उसके बदले 'भूमिहीन दर-रैयत' शब्द किया जाय। अगर ऐसा नहीं किया जायगा तो जैसा कि माननीय सदस्य श्री भोला बाबू ने कहा कि बड़े-बड़े भूधारी अपनी फालतू जमीन को दर-रैयत के नाम में लिख देंगे तो उनकी जमीन सरपलस होने से बच जायगी तो मैं कहना चाहता हूँ कि वैसी स्थिति में कौन-सी जमीन बचेगी जो गरीबों में बांटी जायगी। मैंने तीन बार कहा है कि सेक्शन 22 को डिलिट कर दिया जाय या उसमें यह अंश जोड़ा जाय 'भूमिहीन दर-रैयत'। इससे यह होगा कि दर-रैयत को अगर बटाईदारी की जमीन नहीं मिल सकेगी तो सरपलसवाली जमीन मिलेगी। इसलिये मेरा संशोधन है कि इसमें भूमिहीन दर-रैयत शब्द जोड़ दिया जाय।

श्री रामजयपाल सिंह यादव—उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो लोग अभी तक दर्खास्त दे चुके हैं, रैयत हैं, सर्वे में भी हैं, अगर रोज-रोज दर-रैयत होते जायं और इनको हम इसमें अधिकार देते जायं तो उसमें इसका अन्त नहीं होगा। इसलिये इसका समावेश करना हम जरूरी नहीं समझते हैं।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि—

विधेयक के खंड 11 की उपधारा (I) की प्रथम पंक्ति में शब्द 'कोई दर-रैयत' के बाद शब्द जिसका उक्त भूमि पर दावा बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा 48 (ड) में आवेदित, अनावेदित या निष्पादित है सन्निविष्ट किये जायं।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

यह संशोधन नामंजूर हुआ।

उपाध्यक्ष—श्री पीताम्बर सिंह (श्री पीताम्बर सिंह सदन में नहीं थे)।

श्री केदार पांडेय—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि—

विधेयक के खंड 11 की उपधारा (I) की पंक्ति सात, आठ एवं बारह में अंक एवं शब्द '2 हेक्टर' के स्थान पर अंक एवं शब्द '1 हेक्टर' रखे जायं।

कल मैंने इसके बारे में विशद रूप से बताया था कि 2 हेक्टेयर के बदले 1 हेक्टर क्यों चाहते हैं और उसमें बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। लैंड सिलिंग ऐक्ट की यह मंशा है कि ज्यादा-से-ज्यादा भूमि हम भूमिहीनों को दे सकें और हमारे पास जमीन कम है इसलिये....

श्री चतुरानन मिश्र—अभी आप इसको विचाराधीन रखिये।

उपाध्यक्ष—सरकार कहेगी कि विचाराधीन रखिये तो हम रखेंगे।

श्री भोला प्रसाद सिंह—जो दूसरा संशोधन सरकार की ओर से है उसको दृष्टि में रखते हुए यह नहीं आ सकता है।

श्री चतुरानन मिश्र—सरकार इसको सोच करके पास करे।

उपाध्यक्ष—अभी क्लौजवाईज पास होने दीजिये।

श्री भोला प्रसाद सिंह—आपने जो सकुंलेट किया है अमेन्डमेंड, उसमें श्री राम जयपाल सिंह यादव का संशोधन नं० 10 देखिये जिसमें है कि विधेयक के खंड 11 को प्रस्तावित उपधारा (I) के अंत में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाय; परन्तु यदि उपधारा (I) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र से अधिक कोई भूमि पाई जाय तो वह अधिशेष भूमि समझी जायगी और राज्य की काश्तकारी विधियों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी दर-रैयत का ऐसी भूमि पर किसी भी प्रकार का अधिकर नहीं रहेगा।

उपाध्यक्ष—श्री भोला प्रसाद सिंह अगर कोई दूसरा अमेन्डमेंट लाकर सरकार पास करा देती है तो यह आउट ओफ ओर्डर हो जायगा। अभी इसको चलने दीजिये।

*श्री भोला प्रसाद सिंह—जब सरकार ने संशोधन दिया है तो यह वापस हो सकता है।

उपाध्यक्ष—वापस लेने का कोई सवाल नहीं है। अगर सरकार इसी को मान लेगी तो उसको आउट ओफ ओर्डर मान लेंगे।

*श्री भोला प्रसाद सिंह—दोनों संशोधन साथ नहीं चल सकता है।

उपाध्यक्ष—जब तक पास नहीं होता है सरकार को पुनः विचार करने का अधिकार है।

श्री केदार पांडेय—मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 11 की उपधारा 1 की पंक्ति सात, आठ एवं बारह में अंक एवं शब्द दो हेक्टर के स्थान पर............

उपाध्यक्ष—शांति। यह तो आप पढ़ चुके। उसके आगे कहिये।

श्री केदार पांडेय—मैं यही कह रहा था कि लैन्ड सिलिंग ऐक्ट की मंशा यह है कि ज्यादा-से-ज्यादा जमीन हम भूमिहीनों में बांटें और ज्यादा-से-ज्यादा जमीन भू-मालिकों से ले कर भूमिहीनों में बांटें तो उसमें देते हैं जमीन कितने भूमिहीनों को ज्यादा-से-ज्यादा एक एकड़ देते हैं। इसलिये हम समझते हैं कि दर-रैयत को ढाई एकड़ से बेसी जमीन की सीमा नहीं रखनी चाहिये ताकि उसी जमीन को हम हरिजन, भूमिहीनों में बाट सकें। इसीलिये मैंने अमेन्डमेंट रखा है कि दर-रैयत के पास एक हेक्टर से अधिक जमीन नहीं रहनी चाहिये। यही अमेन्डमेंट है, मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्यगण इसको मानेंगे और इसको स्वीकार करेंगे।

*श्री अम्बिका प्रसाद—उपाध्यक्ष महोदय, मैं, माननीय सदस्य श्री केदार पांडेय ने जो संशोधन दिया है, उसके संबंध में जैसा कि पीताम्बर बाबू ने कहा उस ओर सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं कि हदबन्दी कानून में आपने पांच प्रकार की जमीन निर्धारित की है सिंचित, अर्द्ध-सिंचित, असिंचित, बलुआही और पहाड़ी, तो बटाईदार लोगों पर 1 हेक्टर की सीमा बिहार में क्यों रखियेगा। तो मेरा कहना है कि एक हेक्टर की सीमा आप सिंचित में रखिये और असिंचित और अर्द्ध-सिंचित के लिए आप दो हेक्टर कीजिये तथा बलुआही और पहाड़ी के लिए तीन हेक्टर कीजिये। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, तो कम-से-कम दो ही केटगोरी कर दीजिये सिंचित और असिंचित। सिंचित के लिए एक हेक्टर और असिंचित के लिए दो हेक्टर कर दीजिये, जिससे अन्याय नहीं होगा। इस आधार पर मैं चाहूंगा कि राजस्व मंत्री मान लें तो न्याय होगा और कोई विवाद खड़ा नहीं होगा।

श्री आजम—सरकार ने जो संशोधन पेश किया है और माननीय केदार पांडेय ने जो 1 हेक्टर के लिए संशोधन पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आप अगर सर्वे रेकर्ड में बटाईदारी के सिलसिले में देखेंगे तो हरिजन और माईनरीटिज और गरीब लोगों के पास जमीन नहीं है और जो बड़े-बड़े लोग जमीन्दार हैं, वे साजिश करके अपने-अपने दर-रैयत और रैयत कर देंगे तो उनको जमीन नहीं मिलेगी। इसलिये माननीय केदार पांडेय ने जो संशोधन लाया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष—सरकार का जवाब।

श्री रामजयपाल सिंह यादव—पांडेय जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसको मैं मानता हूं।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

विधेयक के खंड 11 की उपधारा (1) की पंक्ति सात, आठ एवं बारह में अंक एवं शब्द '2 हेक्टर' के स्थान पर अंक एवं शब्द '1 हेक्टर' रखे जायं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

यह संशोधन मंजूर हुआ।

श्री राम जयपाल सिंह यादव—मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

विधेयक के खंड 11 की प्रस्तावित उपधारा (1) के अंत में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाय :

"परन्तु यदि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र से अधिक कोई भूमि पाई जाय तो वह अधिशेष भूमि समझी जायगी और राज्य की काश्तकारी विधियों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, दर-रैयत का ऐसी भूमि पर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं रहेगा"।

श्री भोला प्रसाद सिंह—मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं। जो पुराना अधिनियम 22 था कि सिलिंग एरिया से अधिक जमीन दर-रैयत रख सके, ऐसी स्थिति में अब 1 हेक्टर जमीन रख सकता है, ऐसा आपने किया है। इसलिये बिहार काश्तकारी अधिनियम के अन्दर 1 हेक्टर के लिये यह अप्लाई नहीं करेगा। जहां दर-रैयत का राइट कंफर होगा, वहां बी० टी० ऐक्ट नहीं है। 1 हेक्टर से अधिक में बी० टी० ऐक्ट होना चाहिये। 1 हेक्टर तक तो इस कानून के अन्दर आप दर-रैयत को दे रहे हैं, 1 हेक्टर के बाद नहीं देना चाहते हैं, इसलिये बी० टी० ऐक्ट इससे अलग है।

डा० जगन्नाथ मिश्र—एक हेक्टर के सम्बन्ध में जैसा कि भोला बाबू ने कहा है, वे रख सकते हैं। पीताम्बर बाबू का सिद्धांत कुछ अंश में ठीक है। 1 हेक्टर वाला अलग नहीं होगा।

श्री भोला प्रसाद सिंह—सेक्शन 22 में राइट है। मुख्य मंत्री ने हमको इंटरभेन कर दिया, बी० टी० ऐक्ट में अपील करने की जरूरत नहीं है। 1 हेक्टर के लिये अप्लाई करेगा।

श्री राम जयपाल सिंह यादव—सेक्शन 22 के खंड (1) को हमलोग विलोपित करने का विचार कर रहे हैं, इसमें दर-रैयत अप्लाई करेगा।

उपाध्यक्ष—खंड (11) के सेक्शन 22 (1) के सम्बन्ध में आप बतावें।

श्री भोला प्रसाद सिंह—हुजूर, 22 को पढ़ लिया जाय, इसमें आवेदन-पत्र देने का राइट है।

उपाध्यक्ष—आप कंफ्युजन क्रिएट कर रहे हैं। अभी जो संशोधन पेश किया जा रहा है, उसको पास कर लीजिए, उसके बाद वाले में जो कहना होगा कहेंगे।

श्री भोला प्रसाद सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, 11 सेक्शन का अमेन्डमेंट ही न 22 का अमेन्डमेंट है।

उपाध्यक्ष—शांति, आपकी बात मेरी समझ नहीं आती है।

श्री भोला प्रसाद सिंह—हुजूर, हम तो समझ रहे हैं, माफ करेंगे हुजूर, मेरे कहने का मतलब है कि सेक्शन 22 का जो अमेन्डमेंट है वही न 11 का है। जो संशोधन है वह 11 का संशोधन मूल विधेयक की धारा को संशोधित करता है। धारा 11 में परन्तुक दर-रैयत है जो मूल विधेयक की 22 धारा का परन्तुक हो जायगा।

उपाध्यक्ष—जब हम आगे वाला संशोधन लेंगे उस पर आप बोलेंगे।

प्रश्न यह है कि—

विधेयक के खंड 11 के प्रस्तावित उप-धारा (1) के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाय :

"परन्तु यदि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र से अधिक कोई भूमि पाई जाय तो वह अधिशेष भूमि समझी जायगी और राज्य की काश्तकारी विधियों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, दर-रैयत का ऐसी भूमि पर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं रहेगा।"

प्रस्ताव मंजूर हुआ।

श्री रामजयपाल सिंह यादव—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि—

विधेयक के खंड 11 द्वारा धारा 22 की प्रस्तावित नई धारा (1) में "ऐसा दर-रैयत" शब्दों के बाद "शब्द विहित रीति से आवेदन करने पर" सन्निविष्ट किए जायें।

श्री भोला प्रसाद सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक है।

श्री रामजयपाल सिंह यादव—उपाध्यक्ष महोदय, पहले जो हमने बिल पास किया है, उसमें है कि दर-रैयत को एप्लीकेशन करना चाहिए।

श्री भोला प्रसाद सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो शब्द विहित रीति से आवेदन करेगा यह ठीक है, यह तो विधि के द्वारा हुआ।

श्री पीताम्बर सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि भोला बाबू ने कहा विहित रीति से, यह तो 25 के 14 में साफ लिखा हुआ है।

उपाध्यक्ष—शांति।

प्रश्न यह है कि—

विधेयक के खंड 11 द्वारा धारा 22 की प्रस्तावित नई धारा (1) में ऐसा दर-रैयत शब्दों के बाद शब्द "विहित रीति से आवेदन करने पर" सन्निविष्ट किए जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 11 यथासंशोधित इस विधेयक का अंग बना।

श्री रामजयपाल सिंह यादव—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि—

विधेयक के खंड 12 की उप-धारा (i) के प्रस्तावित उप-खंड (vii) में शब्द "एसे व्यक्तियों के साथ जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति या पिछड़े वर्ग के हों या बिहार मूल के बर्मा से संप्रत्यावर्तित हुए हैं" के स्थान पर शब्द "बिहार मूल के बर्मा से संप्रत्यावर्तित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति या पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के साथ" रखे जायें।

श्री अम्बिका प्रसाद—उपाध्यक्ष महोदय, हम इसका माने नहीं समझते हैं।

उपाध्यक्ष—बर्मा से जिन बिहारियों को निकाल दिया गया और वे वापस होकर बिहार चले आए, उसी के सम्बन्ध में कहा जा रहा है।

श्री अम्बिका प्रसाद—उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से बिहारी जो पाकिस्तान से आए, नेपाल से आए, उसको क्यों नहीं देते हैं ?

श्री रामजयपाल सिंह यादव—भारत सरकार की तरफ से इसके सम्बन्ध में राय दी गई है और उसके अनुसार ही काम किया गया है।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि—

विधेयक के खंड 12 की उप-धारा (i) के प्रस्तावित उप-खंड (vii) में शब्द "ऐसे व्यक्तियों के साथ जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति या पिछड़े वर्ग के हों या बिहार मूल के बर्मा से संप्रत्यावर्तित हुए हैं" के स्थान पर शब्द "बिहार मूल के बर्मा से संप्रत्यावर्तित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति या पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के साथ" रखे जायं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि—

खंड 12 यथासंशोधित इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 12 यथासंशोधित इस विधेयक का अंग बना।

श्री रामजयपाल सिंह यादव—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि—

विधेयक के खंड 13 की प्रस्तावित उप-धारा (i) की पंक्ति तीन एवं चार में शब्द "कोई अपील जिला कलक्टर" के बाद शब्द "या इसके लिए राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट रूप से प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी" सन्निविष्ट किए जायें।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि—

विधेयक के खंड 13 की प्रस्तावित उप-धारा (i) की पंक्ति तीन एवं चार में शब्द "कोई अपील जिला कलक्टर" के बाद शब्द "या इसके लिए राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट रूप से प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी" सन्निविष्ट किए जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि—

खंड 13 यथासंशोधित इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 13 यथासंशोधित इस विधेयक का अंग बना।

श्री राम जयपाल सिंह यादव—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

विधेयक के खंड 14 के अधीन प्रस्तावित धारा 32 (1) की पंक्ति 3, 4 एवं 5 में शब्द "तभी दिया जा सकेगा जबकि जिला का समाहर्त्ता यह प्रमाणित करें कि यह मामला राजस्व बोर्ड के पुनरीक्षण के योग्य है" के साथ पर शब्द "दिया जा सकेगा" रखे जायें।

श्री भोला प्रसाद सिंह—जो संशोधन 45-क में है वह तो ठीक ही है। अभी था कि जिला समाहर्त्ता प्रमाणित करें, तभी अपील होगा लेकिन हमलोगों ने तय किया कि जिला समाहर्त्ता को छोड़कर सीधे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अपील होगा।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

विधेयक के खंड 14 के अधीन प्रस्तावित धारा 32 (1) की पंक्ति 3, 4 एवं 5 में शब्द "तभी दिया जा सकेगा जबकि जिला का समाहर्त्ता यह प्रमाणित करें कि यह मामला राजस्व बोर्ड के पुनरीक्षण के योग्य है" के स्थान पर शब्द "दिया जा सकेगा" रखे जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

खंड 14 यथासंशोधित इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 14 यथासंशोधित इस विधेयक का अंग बना।

श्री राम जयपाल सिंह यादव—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"विधेयक के खंड 15 में प्रस्तावित धारा 32-क की पंक्ति तीन एवं चार में शब्द "प्रारम्भ की तारीख को" एवं शब्द "किसी प्राधिकारी" के बीच शब्द "बोर्ड या जिला कलक्टर से भिन्न" सन्निविष्ट किए जायं।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

विधेयक के खंड 15 में प्रस्तावित धारा 32-क की पंक्ति तीन एवं चार में शब्द "प्रारम्भ की तारीख को" एवं शब्द "किसी प्राधिकारी" के बीच शब्द "बोर्ड या जिला कलक्टर से भिन्न" सन्निविष्ट किए जायं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड 15 यथासंशोधित इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 15 यथासंशोधित इस विधेयक का अंग बना ।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

खंड 16 और 17 इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 16 और 17 इस विधेयक के अंग बने ।

श्री राम जयपाल सिंह यादव—मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

विधेयक के खंड 18 के अधीन प्रस्तावित धारा 45-ख की प्रथम पंक्ति में शब्द "या जिला समाहर्त्ता" सन्निविष्ट किए जायं ।

श्री भोला प्रसाद सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

खंड 18 द्वारा अन्तत:स्थापित की जानेवाली नई धारा 45-ख में "राज्य सरकार" शब्दों के बाद "या राज्य सरकार-द्वारा अधिकृत जिला समाहर्त्ता" शब्द जोड़े जायं ।

राज्य सरकार और जिला समाहर्त्ता दोनों को एक स्तर पर रखा गया है, दोनों को समान अधिकार है, मैंने इसलिए संशोधन दिया है कि राज्य सरकार जिसे अधिकृत करेगी, वह जिला समाहर्त्ता है । राज्य सरकार और जिला समाहर्त्ता दोनों को हम एक स्तर पर नहीं रखना चाहते हूं ।

श्री राम जयपाल सिंह यादव—मैंने इस संशोधन को मान लिया ।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

खंड 18 द्वारा अन्तत:स्थापित की जानेवाली नई धारा 45-ख में "राज्य सरकार" शब्दों के बाद "या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत जिला समाहर्त्ता" शब्द जोड़े जायं ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

खंड 18 यथासंशोधित इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 18 यथासंशोधित इस विधेयक का अंग बना ।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

खंड 19 इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 19 इस विधेयक का अंग बना।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

खंड 1 इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

नाम इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नाम इस विधेयक का अंग बना।

श्री राम जयपाल सिंह यादव—मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण और अधिशेष भूमि-अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1976, सभा द्वारा, यथासंशोधित, स्वीकृत हो।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण और अधिशेष भूमि-अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1976, सभा द्वारा यथासंशोधित स्वीकृत हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

ध्यानाकर्षण सूचना।

सर्वश्री राम सेवक सिंह, जयराम उरांव, वीर सिंह मुण्डा एवं शिवपूजन वर्मा, स० वि० स० की ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकारी वक्तव्य।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, नौहट्टा के श्री रामचन्द्र राम की साली के साथ बलात्कार के संबंध में सर्वश्री रामसेवक सिंह, स० वि० स०, जयराम उरांव,